<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-27/2022/टोंक

श्योजी पुत्र स्वरूपा जाति माली निवासी सुरेली, तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान।

-अपीलांट्स

बनाम

नायब तहसीलदार, बनेठा, उपतहसील बनेठा, जिला टोंक(राज0)

-रेस्पोडेंट

<u>अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 20.01.2022 प्रकरण संख्या 13/2019 एवं निर्णय दिनांक 26.02.2019 प्रकरण संख्या 1825/2018</u>

<u>उपस्थित अभि0ः-</u>

1. अपीलांट अभि0- श्री गिरीश शर्मा
2. राजकीय अभि0- श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः-31.10.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा ग्राम सुरेली के खसरा नम्बर 637 रकबा 0.02 हे0 भूमि पर अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए उक्त भूमि से बेदखल करने पैनाल्टी वसूल किये जाने एवं दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.01.2022 के दौरान खारिज करते हुए नायब तहसीलदार बनेठा के निर्णय दिनांक 26.02.2019 को यथावत रखा जिसके विरूद्ध उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है-

1. अपीलांट को प्रोपर तामील नही हुई थी।
2. दिनांक 24.08.2020 को जिला कलक्टर टोंक के निर्णय से पूर्व अतिक्रमण हटा दिया गया था। उक्त दस्तावेज दिनांक 21.12.2021 को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था। परंतु इस पर कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया था।
3. मौका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट बनायी गई तथा अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 637 की 0.02 हे0 भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं किया।

रास्ता पूर्ण रूप से संचालित है जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। रास्ते की भूमि के पास ही अपीलांट की पत्नि की खातेदारी है। उत्तर से दक्षिण लगभग 300 फिट है। तथा उक्त खेत की मेड पर दो बड़े पुराने पेड़ विधमान है। अपीलांट को भौतिक रूप से कभी बेदखल नही किया गया। ना ही अपीलांट पश्चातवृती अतिक्रमी है। अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2019 एवं दिनांक 20.01.2022 को निरस्त किया जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सिविल जेल की सजा स्थगित करने बाबत निवेदन किया। साथ में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17/32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल सैकण्ड के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त नहीं होने से छायाप्रति न्यायालय में ग्रहण करने बाबत प्रार्थना की। अपील के साथ अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 20.01.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है तथा नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 26.02.2019 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

फोटोप्रति मौका पर्चा दिनांक 24.08.2020 ,प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी (जिला कलक्टर न्यायालय टोंक) प्रस्तुत की है।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी किया जाकर रिकोर्ड मंगवाया जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि ग्राम सुरेली के खसरा नम्बर 637 में रकबा 0.02 हे0 में गैरमुमकिन रास्ते पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। ऑर्डरशीट दिनांक 08.01.2019 के अनुसार प्रकरण संख्या (1825/2018) मे पुनः नोटिस अतिक्रमी की तलबी हेतु पत्रावली रखी गई। दिनांक 22.01.2019 को नोटिस तामील नहीं आइ0एल0आर से मौका रिपोर्ट तलब की अंकित किया हुआ है। दिनांक 25.01.2019 को मौका रिपोर्ट प्राप्त मगर तामील बाबत कुछ नहीं कहा। दिनांक 26.02.2019 को निर्णय कर दिया है। दिनांक 24.08.2020 को तहसीलदार के आदेश की पालना में जे0सी0बी चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया है। दिनांक 26.02.2019 के निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के यहां की गई। उनके द्वारा स्टे नहीं दिया गया। मगर ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा दिनांक 21.12.2021 को जिला कलक्टर टोंक के समक्ष दिया गया था, उसे अनडिसाइडेड रखते हुए उन्होने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2022 दिया है। जिसमें तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया जबकि उस आदेश की पालना पूर्व में ही हो चुकी थी। सजा से राहत दी जायें। अपील स्वीकार की जायें। बहस के दौरान राजकीय अभि0 ने बताया कि स्वयं अपीलांट द्वारा अतिक्रमण को मुक्त करना बताया है। अतः अपील खारिज की जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा प्रकरण संख्या 1825/2018 धारा 91 निर्णय दिनांक 26.02.2019 का अवलोकन किया गया। निर्णय के पैरा 4 के अनुसार सुरेली गांव से सुरजया भैरू की ढाणी सुरेली को जाने वाला रास्ता अतिचारी के खेत पर निर्वाध रूप से चालू हैं और श्योजी माली द्वारा उसकी पत्नि गलोल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 0.50 हे0 ग्राम सुरेली में रास्ता खसरा नम्बर 637 की जमीन दो एयर मिलाते हुए लोहे के तार व पत्थर के तीरे लगाकर रास्ते के रकबे में राख का ढेर लगाकर दो पीलर चुनकर लोहे के मजबूत दो कीवाड़ लगाये। मिट्टी के डोल रास्ते के पूर्वी ओर लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। इन तथ्यों की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी व पटवारी हल्का के बयान व पर्चा मौका दिनांक 25.01.2019 तथा प्राप्त शिकायतों व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 16.03.2016 व बेदखली पर्चा दिनांक 31.01.2017 से भलीभांति हो रही है। पैरा 6 में पूर्व निर्णय दिनांक 16.03.2016 का जिक्र किया हुआ है जिसमें तीस दिन के सिविल कारावास की सजा , बयान पटवारी सुरेली दिनांक 26.02.2019 के अनुसार जांच रिपोर्ट श्योजी के पिता स्वरूपा व भाई मुकेश की उपस्थिति में बनाई गई थी। जिसमें कार्य रिपोर्ट सही पाई गई है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 25.01.2019 के पैरा 1 के अनुसार श्योजी माली ने उसकी पत्नि गलोल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 636 सुरेली में मिलाते हुए रास्ता खसरा नम्बर 636 की 0.02 हे0 भूमि पर अतिक्रमण डोल, तीरे व तार लगाकर अतिक्रमण किया हुआ मिला है। पूर्व में भी दिनांक 31.01.2017 को श्याजी द्वारा किये गये अतिक्रमण को नायब तहसीलदार बनेठा के द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 16.03.2016 प्रकरण संख्या 1201/16 के अनुसरण में हटाया गया था। नायब तहसीलदार बनेठा निर्णय दिनांक 26.02.2019 प्रकरण संख्या 1825/2018 की पालना में दिनांक 24.08.2020 [illegible] से सुरजया भैरू तक जाने वाले रास्ते पर पुलिस जाबते की उपस्थिति में राजस्व टीम [illegible] जे0सी0बी के द्वारा पूरे रास्ते का अतिक्रमण हटाकर रास्ते को चालू करवाया। [illegible] खसरा नम्बर 637 रकबा 0.37 हे0, 643 रकबा 0.14 हे, 647 रकबा 0.39 हे0, 649 र[illegible] 0.19 हे0 भूमि को रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटवाया। अपीलांट के अनुसार प्रोपर तामील नहीं होना बताया गया है। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.03.09 16:48:50 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा की ऑर्डरशीट के अनुसार(1825/2018) दिनांक 26.11.2018 को न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अपीलांट द्वारा यह बताया गया की 21.12.2021 को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक के यहा प्रस्तुत किया था। आदेशिका न्यायालय जिला कलक्टर टोंक का अवलोकन किया गया। दिनांक 27.12.2021 के बाद अंतिम तारीख दिनांक 20.01.2022 दर्ज है। दिनांक 21.12.2021 को कोई प्रोसिडिंग नहीं है। अपील के साथ ही जो इस आशय का प्रार्थना पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। उस पर न्यायालय के अधिकारी अथवा रीडर के द्वारा उस प्रार्थना पत्र को प्राप्त करने का अंकन नहीं किया हुआ पाया जाता है। अतः अपीलांट द्वारा दोनो आक्षेप खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। पश्चातवृती अतिक्रमी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को सही रूप से निर्णित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2019 द्वारा नायब तहसीलदार बनेठा एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2022 जिला कलक्टर टोंक यथावत रखा जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2019 द्वारा नायब तहसीलदार बनेठा एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2022 न्यायालय जिला कलक्टर टोंक यथावत रखा जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा दिनांक 31.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested